राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS 3.0/24/ 5322 दिनांक 14/11/2025

परिपत्र

वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से IFMS 3.0 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभागों/पी.डी. खाता संचालको के लिए संवेतन, कार्मिको के अन्य भुगतान, बजट, पेंशन, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना संचालन (SNA-SPARSH) Earned Salary Advance, Works Monitoring व Accounts वेन्डर रजिस्ट्रेशन, Bank Disbursement Engine इत्यादि प्रक्रियाएं निरन्तर संचालित की जा रही है।

इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा बनाये जाने वाले FVC Bill की प्रक्रिया भी विकसित कर ली गई है, प्रारम्भ में IFMS 3.0 पर दिनांक 01.12.2025 से FVC Bill बनाये जाने की प्रक्रिया परीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। दिनांक 15.12.2025 से पे–मैनेजर पर FVC बिल प्रोसेस (Electricity बिल को छोड़कर) की प्रक्रिया बन्द कर दी जायेगी एवं सम्पूर्ण FVC बिल (Electricity बिल को छोड़कर) केवल IFMS 3.0 से ही प्रोसेस किए जा सकेगें। इस हेतु संबंधित कार्यालय के डीडीओ द्वारा Disbursement Engine में Core DE के अन्तर्गत FVC Bill का चयन कर बिल प्रोसेस किए जायेगे।

IFMS 3.0 से FVC Bill बनाये जाने की प्रक्रिया में निम्न महत्वपूर्ण नवीन बिन्दु शामिल किए गए है :–

1. FVC Bill को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/भुगतान स्वीकृति से सम्बद्ध किया गया है। यह स्वीकृतियां IFMS के बजट मॉड्यूल में उपलब्ध बी.एफ.सी. अनुमोदन/ऑनलाइन अनुमोदन (वित्त विभाग की आई.डी.) से सम्बद्ध किया गया है।
2. भुगतान हेतु IFMS 3.0 के अन्तर्गत वेण्डर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य होगा जिसकी प्रक्रिया वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 7434–46 दिनांक 05.03.2025 में निर्धारित है।
3. IFMS 3.0 पर नवीन व्यवस्था में With E-Invoice/Without E-Invoice के अनुसार Bill Sub Type में संबंधित बिल का चयन किया जाकर माल के उपापन के संबंध में IMS पोर्टल से SRN लेने की अनिवार्यता रखी गई है।
4. वेन्डर रजिस्ट्रेशन के साथ ही वेन्डर को भी Invoice की PDF Copy अपलोड करने का ऑप्शन उपलब्ध रहेगा जिसे भविष्य में ई–वे बिल से भी सम्बद्ध किया जा सकेगा।
5. Invoice की PDF Copy अपलोड करने पर AI आधारित व्यवस्था से FVC Bill में इद्राज की जाने वाली राशि की जाँच भी की जा सकेगी।

IFMS 3.0 के अन्तर्गत FVC Bill संबंधी प्रक्रिया परिशिष्ट–'A' पर संलग्न है।

FVC Bill भुगतान के लिए सिस्टम पर मेकर/चेकर एव एप्रुवर की व्यवस्था रखी गई है। संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगें कि जहां लेखाकर्मी पदस्थापित है वहां आवश्यक रूप से चेकर लेखाकर्मी को ही बनाया जावे। इस हेतु सिस्टम पर भी संबंधित कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मियों को ही चेकर के रूप में प्रदर्शित करवाये जाने का विकल्प रखा गया है। यह व्यवस्था IFMS 3.0 के तहत सभी भुगतानों पर लागू होगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रदर्शित बिल की नियमानुसार जाँच पश्चात अनुमोदित किए जाने पर e-Sign या Digital Signature किए जाने के उपरान्त ही उनके द्वारा बिल कोषालय को सिस्टम से प्रेषित (फॉरवर्ड) किए जायेगें। किसी भी प्रकार के गलत/अनियमित भुगतान के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी/लेखाकर्मी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। विभागों में पदस्थापित वित्तीय सलाहकारों/वरिष्ठतम लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों/आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे सभी राजकीय भुगतानों की समय–समय पर जांच किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

सभी विभागों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा आयोजित किए जाऐगें।

FVC Bill Process के लिए तकनीकी सहयोग Helpline no. 0141-2924794/ 0141-2924795 एवं ई–मेल आई.डी. employeehelpdesk.ifms@ rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(नवीन जैन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/24/ 5322 दिनांक 14/11/2025

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक / सिविल लेखा परीक्षा / वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर
9. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
10. उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
11. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (वित्तीय नियम) विभाग, सचिवालय, जयपुर
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
14. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
15. समस्त कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी
16. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
17. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

પરિશિષ્ટ- A

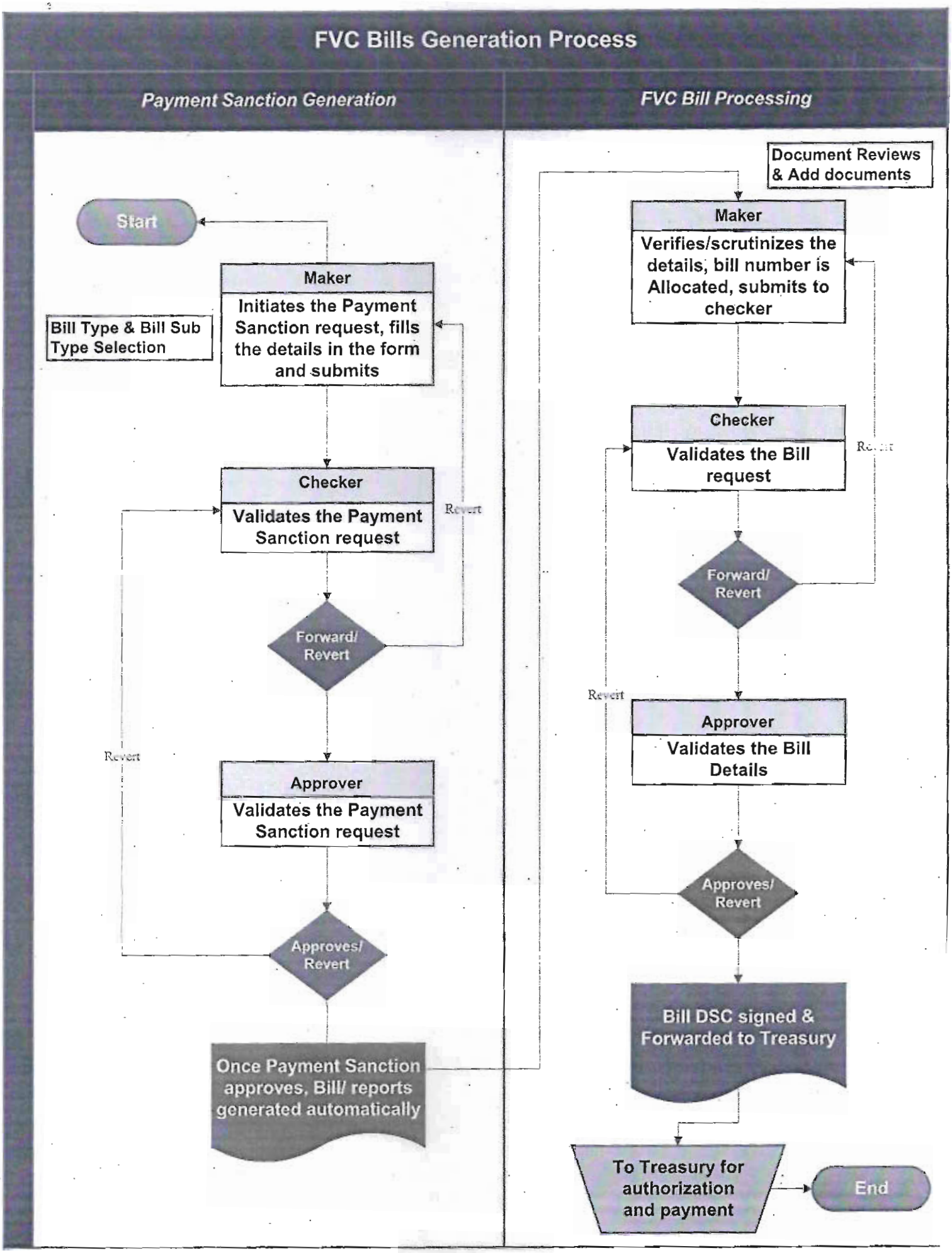

FVC Bills Generation Process
Payment Sanction Generation
FVC Bill Processing
Start
Bill Type & Bill Sub Type Selection
Maker
Initiates the Payment Sanction request, fills the details in the form and submits
Checker
Validates the Payment Sanction request
Revert
Forward/ Revert
Revert
Approver
Validates the Payment Sanction request
Approves/ Revert
Once Payment Sanction approves, Bill/ reports generated automatically
Document Reviews & Add documents
Maker
Verifies/scrutinizes the details, bill number is Allocated, submits to checker
Checker
Validates the Bill request
Forward/ Revert
Revert
Approver
Validates the Bill Details
Approves/ Revert
Bill DSC signed & Forwarded to Treasury
To Treasury for authorization and payment
End